

प्रेस विज्ञापित

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष समस्त राजपत्रित अधिकारियों को अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO ID से लॉग-ईन कर राज-काज सॉफ्टवेयर से अपलोड करने का निर्देश प्रदान किया गया था। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में 84945 राजपत्रित अधिकारियों ने अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड कर चुके हैं, किन्तु अभी तक करीब 25000 राजपत्रित अधिकारियों ने अपना अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड नहीं किया है। राज्य सरकार ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों को अन्तिम अवसर 31 मई 2018 प्रदान करते हुए निर्देशित करती है कि यदि उक्त अवधि तक अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑन-लाईन अपलोड नहीं करेंगे तो उन्हें इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के अनुसार विजिलेंस क्लियरेंस, पदोन्नति, 1 जुलाई से देय वेतन वृद्धि व अन्य लाभ स्वीकृत नहीं किए जावेंगे।

यदि किसी अधिकारी को तकनीकी रूप से अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

Email: support.eoffice@rajasthan.gov.in

Ph: 0141-5153222 (Ext 21304, 22281, 21348)

IP: 213041, 22281, 21348, 21935

Officer Name and Contact detail:

Arif Siddiqui:- 9549520764

Vineet Tulsyan:- 7621846038

Sharaddha Adhikari:- 7073334725

shraddha.adhikari@gmail.com

Manoj Sharma:- 9828226768,

manojsharma@rajasthan.gov.in

आज्ञा से

सचिव कार्यालय विभाग